

9. Discuss Ancient Indian Consumer Jurisprudence.
भारत के प्राचीन उपभोक्ता विधिशास्त्र की विवेचना कीजिए।

Section-C **2×20=40**

(Long Answer Type Questions)

Note :- Answer any *two* questions. You have to delimit your each answer maximum up to **500** words. Each question carries 20 marks.

खण्ड—स

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम **500** शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

10. Whether the Consumer Protection Act, 1986 has been able in successful implementation of consumer rights or not ? Explain.

क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम/सफल रहा है ? विवेचना कीजिए।

11. Compare the powers of District Forum and State Commission. Suggest improvement in them.

जिला फोरम व राज्य आयोग की शक्तियों में तुलना कीजिए। इनमें सुधार हेतु सुझाव प्रदान कीजिए।

12. What are deficiencies in service and goods ? Explain your answer with decided cases.

सेवा व माल में त्रुटियाँ क्या होती हैं ? अपने उत्तर की विवेचना निर्णीत वादों की सहायता से कीजिए।

13. Write a detailed note on U.N. guidelines on Consumer Protection.

उपभोक्ता संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों की विवेचना कीजिए।

CLP-01

June – Examination 2020

**Certificate in Consumer Protection
Law Examination**

**Consumerism, Consumer and the Law
in India**

Paper : CLP-01

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 100

Note :- The question paper is divided into three Sections A, B and C. Write answers as per the given instructions.

निर्देश :- यह प्रश्न-पत्र 'अ', 'ब' और 'स' तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Section-A

10×2=20

(Very Short Answer Type Questions)

Note :- Answer all questions. As per the nature of the question delimit your answer in one word, one sentence or maximum up to **30** words. Each question carries 2 marks.

खण्ड—अ

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द, एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

1. (i) Public Interest Litigation
लोकहितवाद
- (ii) Services
सेवाएँ
- (iii) Consumer Protection Act, (year)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, (वर्ष)
- (iv) U.T.P. (Full Form)
अ.व्या.प. (पूर्ण नाम)
- (v) Consumer means who consume
उपभोक्ता वह है जो का उपयोगकर्ता है।
- (vi) Complaint
परिवेदना
- (vii) Manufacture
निर्माता
- (viii) State Commission
राज्य आयोग
- (ix) National Commission
राष्ट्रीय आयोग
- (x) N.G.O. (Full Form)
गै.स.सं. (पूर्ण नाम)

Section—B

4×10=40

(Short Answer Type Questions)

Note :- Answer any four questions. Each answer should not exceed 200 words. Each question carries 10 marks.

खण्ड—ब

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 200 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

2. Define 'Consumer'.
'उपभोक्ता' को परिभाषित कीजिए।
3. Define 'Services' under C.P. Act, 1986.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सेवाओं को परिभाषित कीजिए।
4. Explain 'Caveat Emptor' and 'Caveat Venditor'.
क्रेता सावधान व विक्रेता सावधान की विवेचना कीजिए।
5. Explain Consumer Grievances and its remedies.
उपभोक्ता परिवेदना व इसके उपचार की विवेचना कीजिए।
6. Explain duties of a consumer.
एक उपभोक्ता के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।
7. Suggest improvement in Consumer Protection Act, 1986.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में सुधार का सुझाव दीजिए।
8. Discuss powers of National Commission for Settlement of consumer disputes.
राष्ट्रीय आयोग की उपभोक्ता विवादों को निपटाने की शक्तियों की विवेचना कीजिए।